

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/

दिनांक

कार्यालय आदेश

निदेशक मण्डल की दिनांक 29.5.17 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या 671-674/एसआईडीसी/आईए/पॉलिसी वॉल्यूम-17 दिनांक 14.6.17 द्वारा दिनांक 31.8.17 तक प्राप्त आवेदनों पर रिक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण समयविस्तारण के साथ अनुमन्य किया गया था। उपरोक्त आदेश तथा रिक्त भूखण्डों के हस्तान्तरण हेतु विस्तारित समय-सीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से कार्यालय आदेश संख्या 419-422/एसआईडीसी /आईए/प्र0नि0 कैम्प दिनांक 03.02.17 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धकों को औद्योगिक भूखण्डों के हस्तान्तरण एवं समय-विस्तारण के प्रकरणों को निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदत्त अधिकारों को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक 5 एकड़ तक के औद्योगिक भूखण्डों, जिनके आवंटन अवधि की कोई समय-सीमा नहीं होगी, जो बोर्ड की दिनांक 29.5.17 में लिये गये निर्णय की शर्तों का पालन करते हों, को निस्तारित कर सकेंगे। उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक पूर्ण हस्तान्तरण शुल्क (यथा धीमी गति के क्षेत्रों हेतु आवंटन की अवधि के अनुसार, 2.5%, 5%, 7.5% एवं तीव्र एवं अति तीव्र गति के क्षेत्रों हेतु 5%, 7.5%, एवं 10%) एवं नियमानुसार समस्त देय समयविस्तारण शुल्क के साथ ही भूखण्डों के हस्तान्तरण एवं समयविस्तारण विषयक आवेदनों को निस्तारित कर सकेंगे।

अगर हस्तान्तरण लेवी अथवा किसी भी अन्य देय में कोई छूट प्रस्तावित है तो ऐसे प्रस्ताव निर्णय हेतु मुख्यालय सन्दर्भित किये जाएंगे। अगर हस्तान्तरक/हस्तान्तरी कोई सोसाईटी अथवा ट्रस्ट हो तो ऐसे प्रकरण भी निर्णय हेतु मुख्यालय सन्दर्भित किये जायेंगे।

उक्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के समय क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना सन्दर्भित औद्योगिक क्षेत्र में अनुमन्य हो तथा निस्तारित आवेदनों का पाक्षिक विवरण यथा प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, निस्तारित आवेदनों का विवरण, देय हस्तान्तरण शुल्क/समयविस्तारण शुल्क का विवरण प्रेषित किया जाएगा।

उपरोक्त अधिकार रिक्त भूखण्डों के अनुमन्य समयविस्तारण/हस्तान्तरण सम्बन्धी समय-सीमा तक ही प्रभावी रहेंगे।

(रणवीर प्रसाद)  
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2369-1 एसआईडीसी-आईए/Direction to All IAs/PO दिनांक 03-10-17  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
1. प्रभारी (औ0 क्षेत्र), उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।  
2. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।  
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर

(रणवीर प्रसाद)  
प्रबन्ध निदेशक